रण संख्या : 185/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. पुष्पा पत्नि अक्षय कोठारी निवासी– ए–84 , लवगार्डन रोड , भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
————प्रार्थीया

बनाम

1. उगमा पिता देवा चमार निवासी – खातनखेडी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. मगना पिता देवा चमार निवासी – खातनखेडी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)
3. गंगाराम पिता देवा चमार निवासी – खातनखेडी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)
4. मोहन पिता देवा चमार निवासी – खातनखेडी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)
5. राकेश पिता श्यामलाल धोबी नि0 – 23 सोलंकि टाकिज के पास , शास्त्रीनगर , भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 6

निर्णय

दिनांक 23–10–20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 627 , 628 , 630 , 631 , 632 , 633 , 634 , 635 कुल खसरा 08 रकबा 46 बीघा एंव खाता संख्या 190 का आराजी नं0 1517/663 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा प्रार्थीया के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थीया के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 663/1 , 662 , 661 , 657 , 652 के मेर के सहारे–सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी संख्या 01 से 06 बावजुद सुचना के भी अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार बनेडा से यह सपष्ट है कि अप्रार्थी की आराजी न0 652 , 657 , 661 एंव 662 रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार बनेडा के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे पहुचने हेतू उक्त आराजी नम्बर 652 , 657 , 661 एंव 662 का रास्ता के लिए उपयोग करते आ रहे है । तथा प्रार्थी को उक्त खातेदादी मे पहुचने के लिए कोई रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है ।
2. ग्राम खातनखेडी की आराजी नं0 652 रकबा 0–10 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है । जिसमे से 0–02 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।
3. ग्राम खातनखेडी की आराजी न0 657 रकबा 0–16 बीघा भूमि चाही मे से 0–02 बीघा आराजी नं0 661 रकबा 1–05 बीघा किस्म चाही मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नं0 662 रकबा 0–01 बीघा मे से 0–01 बीघा किस्म बीड खातेदार उगमा , मगना , गंगाराम , मोहन पिता देवा , मोहन , भुरा , हीरा पिता धुला चमार 5/6 , राकेश पिता श्यामलाल धोबी 1/6 खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसमे से उक्त प्रस्तातिव रास्ते हेतू 0–05 बीघा भूमि रास्ता दर्ज करवाने हेतू श्री राकेश पिता श्यामलाल धोबी ने सहमति पत्र पूर्व मे पेश किया है ।
4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 50121/– प्रति बीघा से 0–02 बीघा भूमि की मालियत 5013/– रूपये बनती है ।
5. प्रार्थी के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग है ।
6. प्राथी द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग कई वर्षो से किया जा रहा है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा खातनखेडी के आराजी न0 आराजी न0 657 रकबा 0–16 बीघा भूमि चाही मे से 0–02 बीघा आराजी नं0 661 रकबा 1–05 बीघा किस्म चाही मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नं0 662 रकबा 0–01 बीघा मे से 0–01 बीघा किस्म बीड खातेदार उगमा , मगना , गंगाराम , मोहन पिता देवा , मोहन , भुरा , हीरा पिता धुला चमार 5/6 , राकेश पिता श्यामलाल धोबी 1/6 खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसमे से उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतू 0–05 बीघा भूमि रास्ता एंव आराजी न0 652 रकबा 0–10 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–02 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है ।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । एंव मौजा खातनखेडी के आराजी न0 आराजी न0 657 रकबा 0–16 बीघा भूमि चाही मे से 0–02 बीघा आराजी नं0 661 रकबा 1–05 बीघा किस्म चाही मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नं0 662 रकबा 0–01 बीघा मे से 0–01 बीघा किस्म बीड खातेदार उगमा , मगना , गंगाराम , मोहन पिता देवा , मोहन , भुरा , हीरा पिता धुला चमार 5/6 , राकेश पिता श्यामलाल धोबी 1/6 खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसमे से उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतू 0–05 बीघा भूमि रास्ता एंव आराजी न0 652 रकबा 0–10 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–02 बीघा भूमि भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त खातनखेडी के आराजी न0 आराजी न0 657 रकबा 0–16 बीघा भूमि चाही मे से 0–02 बीघा आराजी नं0 661 रकबा 1–05 बीघा किस्म चाही मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नं0 662 रकबा 0–01 बीघा मे से 0–01 बीघा किस्म बीड खातेदार उगमा , मगना , गंगाराम , मोहन पिता देवा , मोहन , भुरा , हीरा पिता धुला चमार 5/6 , राकेश पिता श्यामलाल धोबी 1/6 खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसमे से उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतू 0–05 बीघा भूमि एंव आराजी न0 652 रकबा 0–10 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–02 बीघा भूमि का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है । उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जाने योग्य है । एंव मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 627 , 628 , 630 , 631 , 632 , 633 , 634 , 635 कुल खसरा 08 रकबा 46 बीघा मे पहुंचने हेतू ग्राम खातनखेडी के आराजी न0 आराजी न0 657 रकबा 0–16 बीघा भूमि चाही मे से 0–02 बीघा आराजी नं0 661 रकबा 1–05 बीघा किस्म चाही मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नं0 662 रकबा 0–01 बीघा मे से 0–01 बीघा किस्म बीड खातेदार उगमा , मगना , गंगाराम , मोहन पिता देवा , मोहन , भुरा , हीरा पिता धुला चमार 5/6 , राकेश पिता श्यामलाल धोबी 1/6 खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसमे से उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतू 0–05 बीघा एंव आराजी न0 652 रकबा 0–10 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–02 बीघा भूमि मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–07 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा